कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/ 121 **/वाचक/2020** **सूरजपुर, दिनांक 31.07.2020**

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1214/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 19.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक 1288/एस. डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.03.2020, आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14/4/2020, कार्यालयीन आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05. 2020, कार्यालयीन आदेश कमांक 70/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 17.5.2020, कार्यालयीन आदेश कमांक /72/वाचक/ 2020 सूरजपुर, दिनांक 31.5.2020 एवं कार्यालयीन आदेश कमांक/85/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 01.07.2020 के द्वारा **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973** की धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

छत्तीसगढ़ शासन, गृह (सी अनुभाग) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की अधिसूचना कमांक एफ–4–59/गृह–सी/2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.5.2020 के द्वारा राज्य सरकार समस्त जिलों में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 144(4) के परन्तुक में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य के समस्त जिला दण्डाधिकारियों द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि में निरंतरता में बनाये रखते हुए आगामी 03 माह तक यथावत रखने का निर्देश दिया गया है।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ.ग. शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक/शारीरिक दूरी को अपनाया जा रहा है।

3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला सूरजपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि सूरजपुर जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1214/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 19.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 1288/एस.डब्ल्यु/2020

Scanned with CamScanner

सूरजपुर, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 14.4.2020 तथा आदेश कमांक 67/वाचक/ 2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05.2020, आदेश कमांक/70/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 17/5/2020 एवं आदेश कमांक/72/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.5.2020 एवं आदेश क्रमांक/85/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 01.07.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की जावे।

यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि सूरजपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है।

4. अतः मैं **रणबीर शर्मा**, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश कमांक 1214/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 19.3.2020 एवं क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 22.03.2020 एवं 1288/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 31/03/2020 एवं आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 14.4.2020, आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03/05/2020, आदेश कमांक/70/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 17.5.2020, आदेश कमांक/72/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.5.2020 तथा आदेश कमांक/85/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 01/07/20 द्वारा सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए **दिनांक 16 अगस्त 2020 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक** लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूं। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेगीं।

5. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 1254/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 24/03/2020, आदेश क्रमांक 1288/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 31/03/2020, आदेश कमांक/1328/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 08.04.2020 एवं आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 एवं कार्यालयीन आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05.2020, आदेश कमांक/70/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 17/5/2020, कार्यालयीन आदेश कमांक/72/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.5.2020, कार्यालयीन आदेश कमांक/85/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 01.07.2020, कार्यालयीन आदेश कमांक/2515/एस.डब्ल्यु. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 25.7.2020, कार्यालयीन आदेश कमांक 2540/एस.डब्ल्यु./2020 सूरजपुर, दिनांक 27.7.2020 तथा 2567/एस.डब्ल्यु. शाखा/2020 सूरजपुर, दिनांक 29/7/2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई, छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।

District M... Surajpu...

Scanned with CamScanner

यह आदेश सूरजपुर जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 16 अगस्त 2020 मध्यरात्रि 12.00 बजे या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 31.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

District Magistrate * Surajpur (C.G.) *

(रणबीर शर्मा)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 1214 /वाचक/2020

सूरजपुर, दिनांक 31.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (सर्व) जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner